संख्या-बी0एस0डी0एम0/एस0डी0एम0-23/2018- 584

बिहार सरकार

बिहार कौशल विकास मिशन

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।

सेवा में,

बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन फाईनानसियल एकाउंटिंग के लिए चयनित सभी कौशल प्रशिक्षण केन्द्र ।

पटना, दिनांक- 28/5/2019

विषयः- बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन फाईनानसियल एकाउंटिंग का प्रशिक्षण प्रारम्भ किये जाने के पूर्व की गतिविधियों के संबंध में अतिरिक्त दिशा निर्देश ।

प्रसंगः- बिहार कौशल विकास मिशन का पत्र संख्या- BSDM/SDM-23/2018-565 दिनांक-21.5.2019 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बिहार कौशल विकास मिशन के प्रासंगिक पत्र का संदर्भ करने की कृपा की जाये, जिसके माध्यम से GST+Tally का प्रशिक्षण प्रारम्भ कराये जाने हेतु सभी Learning facilitator तथा उनके प्रशिक्षण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश आपको भेजा गया था । आप अवगत हैं कि आपके द्वारा नामित Learning facilitators का स्थानीय दीपनारायण सिंह संस्थान में दिनांक-23.5.20109 से 26.5.2019 तक चार दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया तथा दिनांक-27.5.2019 को उनके प्रशिक्षण के पश्चात योग्यता परीक्षा आयोजित की गयी, जिसमें 45 में मात्र 14 Learning facilitator सफल हुए । प्रशिक्षण के पश्चात योग्यता परीक्षा में केवल 31% प्रशिक्षणार्थियों का सफल होना इस बात का परिचायक है कि चयनित Learning facilitator की योग्यता GST+Tally का प्रशिक्षण देने के उपयुक्त नहीं है । इस स्थिति के कारण राशि की बर्बादी तो हुई हीं साथ साथ कई स्तर पर बिहार कौशल विकास मिशन के कर्मियों के समय की भी बर्बादी हुई । आप इससे भी अवगत हैं कि GST+Tally का प्रशिक्षण एक खास प्रकार का तकनीकी स्वरुप का प्रशिक्षण है, जिसका प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को शतप्रतिशत रोजगार प्राप्त होने की संभावना है । इस प्रशिक्षण के तकनीकी स्वरुप को देखते हुए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षकों की गुणवत्ता एवं योग्यता भी उच्च स्तर का होना अत्यंत आवश्यक है । अतः GST+Tally के लिए चयनित सभी प्रशिक्षण केन्द्रों को पत्र संख्या-565 दिनांक-21.5.2019 से निर्गत सुझावों के अतिरिक्त निम्न सुझाव भी दिये जाते हैं :-

1. सभी चयनित SDC को यह सुझाव दिया जाता है कि वे GST+Tally के प्रशिक्षण हेतु Learning facilitator के चयन में यथोचित सतर्कता बरतने का कष्ट करें तथा इस पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण के लिए वैसे हीं Learning facilitator को नामित करें जो स्नातक/वाणिज्य/CA Inter/CWA Inter/CS Inter उत्तीर्ण हों तथा जिन्हें Accounting, Tally तथा GST कानूनों का कम से कम प्रारम्भिक ज्ञान अवश्य हो ।

2. सभी चयनित प्रशिक्षण केन्द्रों को यह भी सुझाव दिया जाता है कि वे अपने केन्द्र के लिए नामित Learning facilitator को उनके Login में दिये गये BS-CFA के Training module से अवगत होने का सुझाव दें, साथ हीं BSDM के Website के Home page पर GST Training TAB में उपलब्ध अतिरिक्त प्रशिक्षण सामग्री को भी देखने एवं पढ़ने का सुझाव दें, जो LF reference material content heading के तहत बिहार कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर उपलब्ध है । आपके द्वारा नामित Learning facilitator के द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर उपलब्ध इन प्रशिक्षण सामग्रियों का अध्ययन यदि प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के पूर्व किया जायेगा, तो स्थानीय दीपनारायण सिंह संस्थान में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्हें विषयवस्तु को समझने में सहूलियत होगी तथा योग्यता परीक्षा में उन्हें उत्तीर्ण हो जाने की संभावना बढ़ जायेगी।
3. बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आपके द्वारा नामित Learning facilitator को स्थानीय दीपनारायण सिंह संस्थान में चार दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में बुलाये जाने के पूर्व आपके केन्द्र पर हीं एक प्रारम्भिक योग्यता परीक्षा ली जायेगी तथा इस योग्यता परीक्षा में सफल चयनित Learning facilitator को हीं चार दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण तथा योग्यता परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा । नामित Learning facilitator की प्रारम्भिक योग्यता परीक्षा नियमित अंतराल पर चयनित केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी । यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि यह प्रारम्भिक योग्यता परीक्षा होगी, जिसमें उत्तीर्ण होने के पश्चात हीं नामित Learning facilitator को स्थानीय दीपनारायण सिंह संस्थान में चार दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु बुलाया जायेगा तथा चार दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण की समाप्ति के पश्चात उन्हें पुनः तीन चरणों की योग्यता परीक्षा में सम्मलित होना आवश्यक होगा तथा तीनों चरण की योग्यता परीक्षा यथा Objective, Subjective तथा Interview में निर्धारित प्राप्तांक प्राप्त करने के पश्चात हीं उन्हें GST+Tally पाठ्यक्रम के लिए Learning facilitator के रुप में मनोनित करने की अनुमति प्रदान की जायेगी ।
4. चार दिनों के आवासीय प्रशिक्षण के पश्चात तीन चरणों की मूल्यांकन परीक्षा हेतु प्रशिक्षणार्थियों को दिये गये प्रशिक्षण को Revise करने हेतु एक दिन का अन्तराल दिये जाने पर बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा विचार किया जा रहा है । ऐसी स्थिति में चार दिनों के प्रशिक्षण के पश्चात पाचवां दिन कोई प्रशिक्षण नहीं होगा, इस दिन Learning facilitator प्राप्त प्रशिक्षण का Revision कर सकते हैं तथा छठे दिन उनका तीन चरणों का मूल्यांकन परीक्षा आयोजित किया जायेगा तथा तीनों चरणों में सफल होने के पश्चात हीं इन्हें GST+Tally पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण के लिए Learning facilitator के रुप में मनोनित करने की अनुमति प्रदान की जायेगी ।

अनुरोध है कि उपर दिये गये सुझावों का कठोरता से अनुपालन करते हुए GST+Tally पाठ्यक्रम के लिये Learning facilitator के चयन में सतर्कता बरती जाये तथा प्रारम्भिक योग्यता परीक्षा के सफल प्रशिक्षणार्थियों को हीं Learning facilitator के रुप में नामित करते हुए उन्हें चार दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में भेजने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,

(दीपक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।